



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.  
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003  
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com  
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / एचआरडी / 2021 /

दिनांक :

## संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति (द्वितीय आमंत्रण)

एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता, योग्यता पश्चात् अनुभव	आयु सीमा अधिकतम	मासिक वेतन
1.	चार्टर्ड एकाउन्टेंट	02	इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया से चार्टर्ड एकाउन्टेंट की उपाधि तथा उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् ख्याति प्राप्त कम्पनी में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 1.7.2021 को 30 वर्ष। अनु. जाति/जनजाति के लिए 35 वर्ष।	रु. 60,000 प्रतिमाह (सीटीसी)
2.	विधि अधिकारी	01	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एल. एल.बी. डिग्री तथा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् किसी ख्याति प्राप्त कम्पनी/लॉ-फर्म/सार्वजनिक उपक्रम में विधि संबंधी कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 1.7.2021 को 30 वर्ष। अनु. जाति/जनजाति के लिए 35 वर्ष।	रु. 60,000 प्रतिमाह (सीटीसी)

आवेदक पूर्ण बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों की स्व:प्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रारूप, सेवा शर्तों का विवरण एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org) पर उपलब्ध है। नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष के लिए होगी जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2021 को सांयकाल 5.00 बजे तक निगम मुख्यालय में स्वीकार किये जावेंगे। जो अभ्यर्थी विज्ञप्ति दिनांक 30.06.2021 के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। समय-सीमा के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों की पूर्ति का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को रहेगा।

उप महाप्रबंधक (एचआरडी)



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.  
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003  
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com  
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

### चाटर्ड एकाउंटेंट की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक का नाम	.....
2	पिता/पति का नाम	.....
3	जन्म तिथि	.....
4	जाति (सही पर निशान लगाये)	सामान्य/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
5	स्थायी पता	..... ..... .....
6	वर्तमान पता	..... ..... .....
7	मोबाईल नंबर	.....
8	शैक्षणिक योग्यता :-	

क्र.	बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा/अन्य योग्यता	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत	रिमार्क
1						
2						
3						
4						

नोट : कृपया अंक सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

9	अनुभव :-	
---	----------	--

क्र.	संस्था/उपक्रम का नाम	कब से कब तक कार्यरत	कुल अनुभव		कार्य का विवरण	रिमार्क
			वर्ष	माह		
1						
2						
3						

नोट : कृपया अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक : .....

आवेदक का नाम .....

एवं पता .....

## चार्टर्ड एकाउंटेंट की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की जानकारी

एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को संविदा आधार पर 02 चार्टर्ड एकाउंटेंट की आवश्यकता है। प्रति अभ्यर्थी को मासिक वेतन रूपये 60,000/प्रतिमाह (सीटीसी) देय होगा। संविदा की प्रथमतः अवधि दो वर्ष होगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर एक-एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्रतिवर्ष वेतन में 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

### 1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया से चार्टर्ड एकाउन्टेंट की उपाधि।

### 2. अनुभव

सी.ए. उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् ख्याति प्राप्त कम्पनी में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।

### 3. चयन का मापदंड

3.1 निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु निगम मुख्यालय में उपस्थित होंगे, जिसके लिये सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी। अनु. जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम श्रेणी का रेल/बस किराया (प्रमाण प्रस्तुत करने पर) देय होगा।

3.2 योग्यता के लिए 60 अंक, अनुभव के लिए 30 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित किये गये हैं। योग्यता एवं अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

<b>शैक्षणिक योग्यता के अंक</b>		
परीक्षा का नाम	परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक	परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक
12 वीं	20	15
सी.ए. परीक्षा	40	35
कुल -	60	50

<b>अनुभव के अंक</b>	
3 वर्ष के अनुभव के लिए	20 अंक
4 वर्ष के अनुभव के लिए	25 अंक
5 वर्ष या उससे अधिक के लिए	30 अंक

<b>साक्षात्कार के अंक</b>
निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार के लिए कुल अंक 10 निर्धारित हैं। अंकों का आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा।

3.3 एक पद के लिए अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

### 4. अन्य शर्तें

4.1 दिनांक 01.07.2021 को आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिये आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।

4.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा कार्य अनुभव के परीक्षण पश्चात साक्षात्कार लिया जावेगा। योग्यता को 90 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु 10 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

- 4.3 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर निगम में कार्य अनुभव के आधार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 4.4 एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार होगा।
- 4.5 नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं आकस्मिक होगी।
5. चयन पश्चात् अभ्यर्थी को राशि रू. 1000/—का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
6. अभ्यर्थियों को अनुबंध अवधि में अनुबंध की सभी शर्तों, म.प्र. शासन व निगम के स्थापना संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. निगम का प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय है, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिले में प्रवास पर जाना पड़ सकता है, जिसके लिये रू. 100/—प्रतिदिन की दर से डी.ए. (प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर के लिये रू. 150/— विशेष दर) अन्य जिलों में ठहरने के लिये रू. 500/—(प्रदेश के चार बड़े शहरों यथा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में 750/— प्रतिदिन) अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जावेगी। ट्रेन का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का आने जाने का किराया देय होगा। बस से यात्रा करने पर वातानुकूलित डीलक्स बस/सामान्य बस अथवा समकक्ष का किराया देय होगा।
8. बिना सूचना एवं स्वीकृति के लगातार 3 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा व संबंधित को निगम के कार्य से पृथक माना जाएगा।
9. लगातार 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस के अवकाश (रविवार) की पात्रता होगी। नियुक्ति पश्चात् छः माह की अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रतिवर्ष 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसके लिये पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
10. अनुबंधित अवधि में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। यदि निर्देशानुसार सेवायें प्रदान नहीं की जाती हैं या उसकी सेवाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पूर्व 07 दिवस की सूचना पर यह अनुबंध निरस्त कर सकेगा और इसमें कोई आपत्ति अनुबंध की निरस्ती बाबत करने का अधिकार नहीं होगा, न ही इस अनुबंध की समाप्ति/निरस्ती बाबत उस पर/दावा करने का अधिकार होगा।
11. अनुबंधित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर निगम की अनुमति से सेवाएं छोड़कर जा सकेंगे।

**उप महाप्रबंधक (एचआरडी)**



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.  
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003  
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com  
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

### विधि अधिकारी की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक का नाम	.....				
2	पिता /पति का नाम	.....				
3	जन्म तिथि	.....				
4	जाति (सही पर निशान लगाये)	सामान्य/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग				
5	स्थायी पता	..... ..... .....				
6	वर्तमान पता	..... ..... .....				
7	मोबाईल नंबर	.....				
8	शैक्षणिक योग्यता :-					
क्र.	बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा / अन्य योग्यता	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत	रिमार्क
1						
2						
3						
4						
नोट : कृपया अंक सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।						
9	अनुभव :-					
क्र.	संस्था / उपक्रम का नाम	कब से कब तक कार्यरत	कुल अनुभव		कार्य का विवरण	रिमार्क
			वर्ष	माह		
1						
2						
3						
नोट : कृपया अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।						

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक : .....

आवेदक का नाम .....

एवं पता .....

## विधि अधिकारी की संविदा नियुक्ति निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की जानकारी

एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को संविदा आधार पर 01 विधि अधिकारी मासिक वेतन रूपये 60,000/प्रतिमाह (सीटीसी) की आवश्यकता है। संविदा की अवधि दो वर्ष होगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर एक-एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्रतिवर्ष वेतन में 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

### 1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (N.L.I.U) से एल.एल.बी. परीक्षा उत्तीर्ण

### 2. अनुभव

एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव हो। किसी बड़े व्यवसायिक कंपनी फर्म में लीगल विभाग का अथवा किसी ख्याति प्राप्त लॉ फर्म का हो।

### 3. चयन का मापदंड

- 3.1 निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु निगम मुख्यालय में उपस्थित होंगे, जिसके लिये सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी। अनु. जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम श्रेणी का रेल/बस किराया (प्रमाण प्रस्तुत करने पर) देय होगा।
- 3.2 योग्यता के लिए 60 अंक, अनुभव के लिए 30 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित किये गये हैं। योग्यता एवं अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

<u>शैक्षणिक योग्यता के अंक</u>		
परीक्षा का नाम	परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक	परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक
12 वीं	20	15
एल.एल.बी. परीक्षा	40	35
कुल -	60	50

<u>अनुभव के अंक</u>	
3 वर्ष के अनुभव के लिए	20 अंक
4 वर्ष के अनुभव के लिए	25 अंक
5 वर्ष या उससे अधिक के लिए	30 अंक

<u>साक्षात्कार के अंक</u>
निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार के लिए कुल अंक 10 निर्धारित हैं। अंकों का आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा।

- 3.3 एक पद के लिए अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

### 4. अन्य शर्तें

- 4.1 दिनांक 01.07.2021 को आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिये आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।
- 4.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा कार्य अनुभव के परीक्षण पश्चात साक्षात्कार लिया जावेगा। योग्यता एवं अनुभव हेतु 90 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु 10 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

- 4.3 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर निगम में कार्य अनुभव के आधार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 4.4 एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार होगा।
- 4.5 नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं आकस्मिक होगी।
5. चयन पश्चात् अभ्यर्थी को राशि रू. 1000/—का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
6. अभ्यर्थियों को अनुबंध अवधि में अनुबंध की सभी शर्तों, म.प्र. शासन व निगम के स्थापना संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. निगम का प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय है, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिले में प्रवास पर जाना पड़ सकता है, जिसके लिये रू. 100/प्रतिदिन की दर से डी.ए. (प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर के लिये रू. 150/— विशेष दर) अन्य जिलों में ठहरने के लिये रू. 500/—(प्रदेश के चार बड़े शहरों यथा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में 750/— प्रतिदिन) अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जावेगी। ट्रेन का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का आने जाने का किराया देय होगा। बस से यात्रा करने पर वातानुकूलित डीलक्स बस/सामान्य बस अथवा समकक्ष का किराया देय होगा।
8. बिना सूचना एवं स्वीकृति के लगातार 3 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा व संबंधित को निगम के कार्य से पृथक माना जाएगा।
9. लगातार 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस के अवकाश (रविवार) की पात्रता होगी। नियुक्ति पश्चात् छः माह की अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रतिवर्ष 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसके लिये पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
10. अनुबंधित अवधि में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। यदि निर्देशानुसार सेवायें प्रदान नहीं की जाती हैं या उसकी सेवाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पूर्व 07 दिवस की सूचना पर यह अनुबंध निरस्त कर सकेगा और इसमें कोई आपत्ति अनुबंध की निरस्ती बाबत करने का अधिकार नहीं होगा, न ही इस अनुबंध की समाप्ति/निरस्ती बाबत उस पर/दावा करने का अधिकार होगा।
11. अनुबंधित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर निगम की अनुमति से सेवाएं छोड़कर जा सकेंगे।

**उप महाप्रबंधक (एचआरडी)**